न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रार्थना पत्र स0:–48/2024 पीठासीन अधिकारी–ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

राज्य सरकार जरिये, विजय पाल सिंह यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, बहरोड़

––प्रार्थी

बनाम

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूराराम मैसर्स वोहरा जी मिष्ठान भण्डार बहरोड़ मों0न0 9001633946

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी घरेलू गैंस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल. पी.जी. गैंस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत।

निर्णय

दिनांक 16/12/25

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2024 को घेरलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व रिफिलिंग की कार्यवाही के संबंध में मैं विजयपाल सिंह यादव, प्रवर्तन निरीक्षक श्री संदीप माथुर, (जिला रसद अधिकारी) से प्राप्त मोवाईल सूचना पर निरीक्षण क लिए मैंसर्स वोहरा जी मिष्ठान भण्डार के गोदाम, पता– जिलानी माता रोड़, वहरोड, तहसील वहरोड़ पहुंचा। मौके पर खाद्य विभाग का जॉच दल श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोटपूतली, श्री हेमन्त यादव (FSO) व श्री रोशन लाल यादव (FSO) कार्यवाही करते मिले। गोदाम पर मालिक सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूराराम (मैसर्स बोहरा जी मिष्ठान भण्डार) उपस्थित मिलें। मौके पर घेरलू गैस सिलेण्डरों (14.2) को भटटी/चूल्हों के माध्यम से जोड़कर व्यवसायिक कार्य (मिठाई बनाने का कार्य) व अवैध भण्डारण पाया गया। परिसर/गोदाम की तलाशी लेने पर कुल–12 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) पाये गये। इनके संबंध में मौके पर दस्तावेज मांगने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। घेरलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लघंन होने के कारण निम्नानुसार जब्त सिलेण्डरों को शहीद सत्यवीर गैंस एजन्सी, वहरोड़ के प्रतिनिधि (डिलीवरी मैंन) राहुल कुमार यादव से प्रमाणित कोटे से तुलवाकर निम्न को वजह सबूत कब्जे राज लिया गया। मौके पर गैंस का दुरूपयोग वन्द करवाकर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैंस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन करने पर जब्त किये गये घेरलू गैंस सिलेण्डर एवं उसमें संग्रहित गैंस का विवरण निम्नानुसार है:–

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

क्र. स.	एस.आर.न.	कम्पनी का नाग	भरे हुए सिलेण्डर का वनज (किग्रा)	खाली सिलेण्डर का वजन (किग्रा)	शुद्व गैंस (किग्रा) (कॉलम 4–5)	अन्य जब्त सामग्री
1	2	3	4	5	6	7
1	015818 S	HP	15.6	15.6	0	
2	141836 S	HP	15.9	15.7	.200	
3	386072S	HP	15.8	15.8	0	
4	140938S	HP	16.3	15.8	.500	
5	191037S	HP	24.3	15.4	8.900	
6	315194 I	HP	16.7	15.7	1.0	
7	249690 P	HP	15.4	15.4	00	
8	140841 S	HP	19.1	15.7	3.4	
9	168789 T	HP	15.8	15.7	.100	
10	432915 S	HP	23.9	15.8	8.100	
11	288515 S	HP	16	16	00	
12	92399 S	HP	16.3	15.6	.700	

जब्त 12 घेरलू गैंस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) व उनमें गैंस 22.9 किग्रा. कब्जे राज को प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक शहीद सत्यवीर गैंस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री राहुल कुमार यादव को एजेन्सी के गोदाम में ठीक हालात में रखने, सुरक्षित रखने तथा खुर्दबुर्द ना करने को पावन्द करते हुए सुपुर्दगी दी गई है।

प्रकरण में उक्त 12 घरेलू सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) व 22.9 किग्रा गैंस को राजसात करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निस्तारण करने की इस्तुदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैराकार ने जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेष प्रदान किये गये। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया ।
3. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार यादव ने वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार द्वारा अपने गोदाम में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नही किया जा रहा था बल्कि प्रार्थी के पास कामर्सियल सिलेण्डर थे उन्ही का उपयोग करता है। प्रार्थी के यहॉ से जब्त किये गये घरेलू गैस के सिलेण्डर, श्री अरविन्द यादव पुत्र श्री स्व0 बाबूलाल यादव जाति अहीर निवासी मिलकपुर के थे जो उसके घर पर प्रोग्राम होने के कारण उसने उक्त सिलेण्डर एकत्रित किये थे। उनके यहॉ प्रार्थी द्वारा हलवाई का कार्य किया गया था। प्रोग्राम खत्म

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

होने के बाद उन्होनें उक्त सिलेण्डर गैस ऐजेन्सी तक पहुँचाने के लिए हमारे सामान के साथ गाड़ी में रखवा दिये। उस दिन गैस ऐजेन्सी के बंद होने के कारण सिलेण्डर ऐजेन्सी पर नही पहुचाये जा सके व गाड़ी वाले ने उक्त सिलेण्डर प्रार्थी के गोदाम पर यह कहते हुये उतार दिये की एक–दो दिन में जब भी ऐजेन्सी खुलेगी उक्त सिलेण्डर गैस ऐजेन्सी वाले के यहा पहुँचा दिये जायेगे उसी दिन प्रर्वर्तन निरीक्षक बहरोड़ मौके पर आकर सिलेण्डरों को जाब्ते में लेलिया गया। प्रर्वतन अधिकारी ने हमें बिना सुने गलत प्रकरण श्रीमान के यहाँ पेश किया है। प्रर्वर्तन अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही करते हुए किसी भी स्वतत्र साक्षी के बयान दर्ज नही किये ना ही प्रार्थी से कोई पूछताछ कर नोट अंकित किया केवल प्रर्वतन अधिकारी ने अपने टारगेट पुरे करने के लिए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त गलत कार्यवाही की है इसलिए अविधिक तरीके से की गई कार्यवाही को ड्रोप किया जावे। सरकार पैरोकार एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी वकील ने प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानकर प्रकरण को खारीज करने का निवेदन किया गया। सरकार पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूराराम द्वारा मैसर्स बोहरा जी मिष्ठान भण्डार के गोदाम पर घेरलू गैस सिलेण्डरों (14.2) को भटटी/चूल्हों के माध्यम से जोड़कर व्यवसायिक कार्य (मिठाई बनाने का कार्य) करना तथा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया है। इनके संबंध में मौके पर दस्तावेज मांगने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। घेरलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है इसलिए जब्त किये गये घेरलू गैस सिलेण्डरों एवं गैस को राजसात करने की कृपा करें।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध निरीक्षण पर्चा, फर्द अभिग्रहण एवं मौका फोटा तथा जवाब का अवलोकन किया गया।
5. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी के आरोप अनुसार अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूराराम (मैसर्स बोहरा जी मिष्ठान भण्डार) द्वारा घेरलू गैस सिलेण्डरों (14.2) को भटटी/चूल्हों के माध्यम से जोड़कर व्यवसायिक कार्य (मिठाई बनाने का कार्य) व अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया है जिससे की एलपीजी घरेलु गैस का दुरूपयोग तथा सिलेण्डर का अवैध भण्डार किये जाने की पृष्टि होती है। अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है जिस से की यह साबित हो की उसके द्वारा यह कृत्य नही किया गया हो। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण का विनियमन आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्तशुदा 12 घरेलू सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) व 22.9 किग्रा गैंस को राजसात किया जाना उचित समझते है।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 12 घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) एवं 22.9 किग्रा गैंस को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर व अन्य

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

सामान के निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।
8. निर्णय आज दिनांक 16-12-2... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली बहरोड़

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)